न्यायालय – माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुराविलोकन प्रकरण क्रमांक /2017 जिला सतना

अविनाश चलाना एण्ड संस लायसेंसी
विदेशी मदिरा दुकान डेल्हा मोड,
जिला सतना म0प्र0 —— आवेदक

बनाम

1— कार्यालय (कलेक्टर) आबकारी,
जिला सतना म0प्र0

2— सहायक आबकारी अधिकारी,
वृत्त मैहर, जिला सतना म0प्र0

3— मनोजसिंह पुत्र श्री भागीरथ सिंह
निवासी – सॉई लोटस सिटी,
सिंहावल मोड, सतना म0प्र0

—— अनावेदकगण

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण क्रमांक 8016/दो/2017/अपील में पारित आदेश दिनांक 13.11.2017 के विरूद्ध म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 के अन्तर्गत बने अपील रिवीजन तथा रिव्यू नियमों के पैरा (दो) सी के अन्तर्गत पुर्नाविलोकन।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :—

1. यहकि, माननीय न्यायालय के आदेश में कई ऐसी वैधानिक त्रुटियॉ / भूल रह गयी है, जिनके कारण माननीय न्यायालय का आदेश पुर्नाविलोकन योग्य है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक दो/रिव्यु/सतना/आबकारी/2017/4452

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
4-02-19	आवेदक की ओर से श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित। अनावेदक शासन की ओर से श्री दिलीप सिंह भदौरिया उपस्थित। आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण में प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। 2– यह रिव्यु आवेदन–पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक अपील 8016–दो/2017 में पारित आदेश दिनांक 13.11.17 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण कमांक **दो/रिव्यु/सतना/आबकारी/2017/4452** के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये । 3–आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक अपील 8016–दो/2017 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 13.11.17 से किया जा चुका है। 4–प्रकरण में **प्रकरण दो/रिव्यु/सतना/आबकारी/2017/4452** म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में रिव्यु के जो आधार बताये गये हैं उनके विद्‌यमान होने पर ही रिव्यु	

प्र0 क0 दो/रिव्यु/सतना/आबकारी/2017/4452

आवेदन स्वीकार किया जा सकता है

अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है। इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दा0 द0 हो । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य